संख्या-249/2025/3120/22-2-2023-17(966)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 मार्च, 2025

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक पुत्र श्री राम आसरे, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-23888/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023), दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक पुत्र श्री राम आसरे, जो रसूलपुर कायस्थ, थाना-गुडम्बा (वर्तमान थाना-जानकीपुरम्), जनपद-लखनऊ का निवासी है। पारिवारिक पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 31.01.2008 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डा व तमन्चें से मारकर पप्पू उर्फ सत्येन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1122/2008 व 1123/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34, व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-13, लखनऊ के आदेश दिनांक 12.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 18.04.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी ने दिनांक 06.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, रंजिश व कसीदगी बनी हुई है. बंदी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 31.01.2008 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डा व तमन्चें से मारकर पप्पू उर्फ सत्येन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। पक्षों में रंजिश व कसीदगी बनी होने व बंदी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम सेवक पुत्र राम आसरे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक (बन्दी संख्या-2419/2011) पुत्र श्री राम आसरे, निवासी जनपद-लखनऊ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-249/2025/3120(1)/22-2-2023-17(966)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी / अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-249/2025/3120/22-2-2023-17(966)/2023

दिनांकः 11 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

प्रस्तावानुसार जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम सेवक पुत्र श्री राम आसरे, जो जो रसूलपुर कायस्थ, थाना-गुडम्बा (वर्तमान थाना-जानकीपुरम्), जनपद-लखनऊ का निवासी है। पारिवारिक पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 31.01.2008 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डा व तमन्चें से मारकर पप्पू उर्फ सत्येन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1122/2008 व 1123/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34, व 3/25 आर्म्स एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-13, लखनऊ के आदेश दिनांक 12.07.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 18.04.2019 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी ने दिनांक 06.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 03 माह की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, रंजिश व कसीदगी बनी हुई है. बंदी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि पारिवारिक पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 31.01.2008 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर डण्डा व तमन्चें से मारकर पप्पू उर्फ सत्येन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। पक्षों में रंजिश व कसीदगी बनी होने व बंदी की सुरक्षा व शांति व्यवस्था को दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम सेवक पुत्र राम आसरे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।